श्री शिव चन्द्र झा : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे पहले बुलाया था, पहले आपने बुलाया था ? क्या आपका नियम है ? . . . (व्यवधान) । मेरा प्वाइंट आफ आर्डर हैं।

श्री उपसभापति : पूछिये प्वाइंट आफ आर्डर क्या है । प्वाइंट आफ आर्डर रूल को किताब पढ़कर बताइये । मैं आपको और कुछ कहने नहीं दूंगा । (व्यवधान)

श्री शिव चन्द्र झा : रूल 258 है । है ना ? है ना ? . . . (व्यवधान)

श्री उपसभापति : देखिये, आप मजाक मत करिये ।

श्री शिव चन्द्र झा : यह जीरो अवर है । . . . (व्यवधान) ।

श्री उपसभापति : कोई जीरो अवर नहीं है रूल में । . . . (व्यवधान)

श्री शिव चन्द्र झा : आपने पहले मुझे मोका दिया, फिर उसको खत्म कर दिया और दूसरों को बुला लिया । मैं जब बोलने लगा तो उधर चले गये। . . . (व्यवधान)

श्री उपसभापति : क्या प्वाइंट आफ आर्डर है, कृपा करके बताइये । . . . (व्यवधान) . . .

श्री शिव चन्द्र झा : मैं यह कह रहा हूं कि जो बात को लेकर कल भी यहां पर सवाल उठा था और रोज उठता है, उसकी जड़ में यह है जो कि विषय हम देते हैं. *

•Not recorded.

श्री उपसभापति : यह प्वाइंट आफ आर्डर नहीं है ।

This is not a point of order. Do nol record it. We will now take up tha Calling Attention. Yes, Mr. Paswan.

श्री शिव चन्द्र झा : यह जो आपका तरीका है इस तरीके के खिलाफ मैं वाक-आउट करता हूं ।

[माननीय सदस्य सदन से उठकर चले गए]

CABLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

Situation arising out of the reported difficulties being faced by the student*, particularly those belonging to scheduled Castes and scheduled tribes, in getting admission to various courses in tb* Dtihi University

श्री राम भगत पासवान (बिहार) : श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से छात्रों, विशेषकर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के छात्रों द्वारा दिल्ली विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त करने में अनुभव की जा रही कठिनाइयों के समाचार से उत्पन्न स्थिति तथा इस बारे में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही की ओर शिक्षा, संस्कृति और समाज कल्याण मन्त्री का ध्यान आकर्षित करता हूं ।

THE DEPUTY MDSISETER IN THE MINISTRIE OF EDUCATION AND CULTURE AND SOCIAL WELFARE (SHRI P. K. THUNGON): Six, the undergraduate programme offered by the University of Delhi can admit over 37,000

(Shri P. K. Thumgon.)

students in a year. These facilities comprises of about 23,000 seats in regular B.A., B.Sc, and Bj. Com. courses, some 11.500 seats in Correspondence Courses and over 3,000 seats for women students who register with the Non-Collegiate Women's Education Board.

As against these facilities available in the University of Delhi, the total number of students who have secured 40 per cent or more marks in Senior Secondary School Examination in Delhi and qaulified to seek admission to colleges is 35,266.

The process of admissions to colleges in Delhi started on July 11^ 1982 and will continue till August)6, 1983.

These are 64 institutions including even ing colleges attached to Delhi University. According to the admission procedure, students apply directly to colleges o'f their choice, and admissions are made by each college from among the students who apply, on the basis cf merit. A large number of students apply simultaneously to several colleges, and those who have secured high percentage of marks get selected in several of them. In consequence, in the initial stages, it is likely that an impression is created that a large number of students with high percentage of marks have been denied admission. However, as actual admissions stabilise, most of such students are able to secure admission in one college or another.

It is true that all students in Delhi axe not able to secure admissions to colleges and courses of their choice. The seats in different courses are limited, and so is the admission capacity in the individual colleges. However, on an overall basis, it is unlikely that any eligible student will be unable to get admission to an undergraduate programme of the Delhi University. The correct position will emerge only when the admission is closed on August 10, 19S8.

The University has prescribed a separate procedure for admission of students belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Such candidates register with the University for admission to B.A., B.Sc, and B. Com. courses. From among the students so registered, the University allots admission to colleges takinlg} into account their choice, subject to availability of reserved seats.

For Science courses, the total number of Scheduled Caste/Scheduled Tribe candidates registered was 210, of whom, 202 who fulfilled the qualifications were allotted to different colleges. According to information available so far, only 165 students have collected their admission slips from the University. Evidently, there is no difficulty for SC/ST candidates seeking admission to Science courses.

For B.A. and B.Com. courses, out of 3069 candidates registered, 2486' were allotted to different colleges and courses of their choice in the first phase ending 8th July. The remaining candidates alongwith fresh applicants belonging to this category were given an opportunity to register again for other courses on July 26-27, 1983. 380 out of 501 candidates reistered during these days were allotted to colleges. 110 out of the remaining 121 were again permitted to exercise a fresh option of courses and are being accommodated in various colleges, leaving only 11 candidates who have not been allotted to any college ' so far.

The Government are anxious that the facilities provided for admission of SC/ST students in all Central Universities including Delhi University, are in accordance with the guidelines suggested by the Governments Accordingly, the Delhi University agreed to reserve 22.5% of the seats for SC/ST (15% for SC and 7.5% for ST) from the current year, as against 20% (15% for SC and 5% for ST) in earlier years. The University has also agreed to relax the minimum percentage of marks for *Iigibility

beyond 5%, and wherever reserved seats are available, to admit students who have obtained not less than 33% marks (pass marks) in the aggregate in the qualifying examination.

I have had the position of admission during the current year reviewed, in consultation with the University of Delhi and the University Grants Commission. I am glad to inform the House that the University has assured me that all the SC and ST candidates who are eligible to join the University wiH be offered admission in various courses. For this purpose, registration for SC/ST candidates wfll be kept open upto August IG, 1983.

It was brought to my notice that several students who had secured very high marks were unable to join Science (Honours) courses due to non-availability of seats, I am glad to inform the House that the Chairman, UGC has assured me that a few more colleges in Delhi will be allowed to offer Honours courses in Science enabling an additional 260 students to get admission to Science (Honours) courses.

I am sure the House will appreciate that the Government, the UGC and the Delhi University are making every endeadvour to ensure that eligible students, including those belonging *to* SC and ST, are admitted to various undergraduate programmes offered by the Delhi University.

श्री बुद्ध प्रिय मौर्य (आंध्र प्रदेश) : श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय शिक्षा मन्त्री जी ने अभी जो बयान दिया है उसमें एक एम्बीग्वीटी मुझे साफ मालूम देती है। शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के ऐसे विद्यार्थी जो जनरल क्लासेस से ज्यादा नम्बर लाते हैं, क्या उन शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लड़कों को भी आप शेड्यूल्ड और शेड्यूल्ड ट्राइब्स में ही गिनते हैं या जनरल लोगों में गिनते हैं ? शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के अधिक से अधिक बच्चों को दाखिला मिल सके, शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लड़के और लड़कियों को भी जो कि डिस्टिंक्शन मार्क्स लाते हैं, जो फर्स्ट डिविजन में होते हैं, क्या उनको आप जनरल कैटेगरी में लेंगे जिससे ज्यादा से ज्यादा शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को दाखिला मिल सके ? यह आपके बयान में नहीं है। मैं समझता हूं कि यह एम्बीग्वीटी है।

श्री राम भगत पासवान : उपसभापति महोदय, मुझे खुशी है कि माननीय मंत्री जी ने अपने बयान में आश्वासन दिया है। मैं उसके लिये उनको धन्यवाद देता हूं। लेकिन जो प्रेक्टिकल बातें हैं, इन जातियों के लोगों को दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रवेश पाने के लिये क्या-क्या दिक्कतें होती हैं उनकी चर्चा कर देना चाहता हूं। सर्व-प्रथम तो एप्लीकेशंस फार्म लिये जाते हैं। दूसरी यूनिवर्सिटीज में जब दाखिला होता है तो एक जगह पर फार्म वसूल कर विभिन्न विद्यालयों में भेज दिया जाता है। बाद में जो विद्यार्थी जहां जाना चाहता है वहां पर उनका फार्म भेज दिया जाता है। लेकिन दिल्ली युनिवर्सिटी में अलग-अलग कालेजों में एप्लीकेशंस फार्म लिये जाते हैं। हर सब्जेक्ट्स के लिये अलग-अलग फार्म भरने पड़ते हैं। ये कालेजज को निर्धारित करना चाहिए कि हम 55 या 60 प्रतिशत वालों को एडमीशन देंगे ताकि बाकी लोग दूसरे कालेजों में जा पाते। लेकिन ऐसा नहीं होता है। वे सारे एप्लीकेशंस रख लेते है और अन्त में कह देते हैं कि हमारे यहां जगह नहीं है, सीटें भर गयी हैं। इस प्रकार से महीनों तक विद्यार्थियों को परेशान होना पड़ता है। इसके बाद वे दूसरे कालेजों में भी नहीं जा पाते हैं। इस प्रकार से हजारों छात्रों

[श्री राम भगत पासवान]

का भविष्य अन्धकारमय हो जाता है। कालेजों का रवैया भी अच्छा नहीं होता है। अगर कोई गार्जियन या विद्यार्थी प्राचार्य से मिलने के लिये जाता है, एडमिशन के विषय में कुछ जानना चाहता है तो राष्ट्रपति जी से तो मिलना संभव है, लेकिन किरोड़ीमल कालेज, सेन्ट स्टीफन कालेज, हिन्दू कालेज के प्रिंसिपल से असंभव है। अगर कोई लड़का या लड़की या गार्जियन मिलने में सफल भी हो जाता है तो उनसे कह दिया जाता है कि नोटिस बोर्ड में सब लगा दिया गया है। इस प्रकार से लोगों के साथ व्यवहार किया जाता है। मेरा कहना यह है कि यूनिवर्सिटी को डायरेक्शन दी जानी चाहिए कि कितने प्रतिशत तक वे एड-मिशन दे रहे हैं ताकि बाकी लोग दूसरे कालेजों में जा सकें। अभी स्थिति यह है कि अन्त में वे कह देते हैं कि हमारे यहां जगह नहीं है। इस तरह से हजारों विद्यार्थियों का भविष्य अन्धकारमय होता जा रहा है। इन्होंने कहा है अपने बयान में कि 35 हजार की कैपेसिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अन्तर्गत। लेकिन महोदय, अगर 35 हजार है तो इसके अन्तर्गत अभी सिर्फ 23 हजार ही रेगुलर स्टुडेंट्स क्यों हैं और फिर जो यह कारेस-पोंडेंस कोर्स में करीब 11500 लड़के हैं उनको कारेसपोंडेंस में रखने की जरूरत क्या है। 12 हजार अभी ऐसे छात्र हैं, जिन को अभी तक एडमिशन नहीं मिला है। जो बेचारे दूर से आते हैं, एम० पी० लोगों के फ्लैट में आश्रय लेते हैं एडमिशन के चक्कर में हैं, अभी तक उनका एडमिशन नहीं हुआ है और इस तरीके से इन लोगों को परेशान किया जा रहा है। उपसभापति महोदय, यदि कालेज में जब ये देख रहे हैं कि संख्या बढ़ रही है छात्रों की, तो इसके लिये सीटें बढ़ानी चाहिऍ लेकिन बढ़ाने की अपेक्षा घटा दिये हैं। मेरे पास फिगर हैं कि श्याम लाल कालेज में 132 सीटें घटा दी गयी हैं, रामलाल आनन्द कालेज में 200, खालसा कालेज में 250 और किरोड़ीमल कालेज तथा हिन्दू कालेज में छात्रों की संख्या घटा दी गई है। इसलिये हम कैसे विश्वास करें कि छात्रों को प्रवेश आसानी से मिल जायेगा। उपसभापति महोदय, दिल्ली विश्वविद्यालय के अन्तर्गत सर्वे कराइये, प्राइमरी स्कूल और सेकेंडरी स्कूलों का सर्वे कराइये तो आपको पता चलेगा कि प्रवेश न पाने के कारण कितने बच्चे छूट जाते हैं। दिल्ली में खासकर जो गरीब तबके के लोग हैं, जो कि अपने बच्चों को दूसरी जगहों पर नहीं भेज सकते हैं, उनमें से कितनों के ही बच्चे छूट जाते हैं और इससे उनका भविष्य अन्धकारमय हो जाता है। जो बच्चे हायर सेकेंडरी पास करने के बाद कालेज में जाना चाहते हैं, कालेजों के इस तरीके के रवैये से कितने ही लड़के छूट जाते हैं और उनका भविष्य अन्धकारमय हो जाता है। इसको आप कृपया सर्वे कराकर देख लीजिए।

उपसभापति महोदय, मन्त्री महोदय ने कहा है कि शैड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिये हम रिजर्वेशन करते हैं 22 प्रतिशत शेड्यूल्ड कास्ट के लिये और 15 प्रतिशत शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिये। ये जगहें इनके लिये सुरक्षित हैं लेकिन दाखिला देने में आनाकानी की जाती हैं। 29 जुलाई, 1983 के हिन्दुस्तान में हैं कि :

"दिल्ली विश्वविद्यालय में अनुसूचित जाति व जन जाति के छात्रों के लिये

निर्धारित सीटों से काफी कम आवेदन इस वर्ष आए हैं लेकिन जो आवेदन आए भी हैं उन अनुसूचित छात्र-छात्राओं को भी प्रवेश देने में कालेजों द्वारा आनाकानी की जा रही है ।

उल्लेखनीय है कि इन छात्रों के लिये करीब 5 हजार सीटें विश्वविद्यालय में सुरक्षित हैं लेकिन केवल 1500 छात्रों ने आवेदन किया है। इनमें से भी अधिकांश को कालेजों द्वारा प्रवेश नहीं दिया जा रहा है।

पांच हजार सीटें हैं और 1500 आवेदन हैं, तब भी इनको नहीं लिया गया है । यह किस आरक्षण की नीति का पालन हो रहा है ? इसमें जो मेधावी छात्र हैं, जो हरिजन मेधावी छात्र हैं, उन्होंने भी अप्लाई किया है लेकिन उनका भी एडमीशन नहीं हुआ है । मैंने एक प्रश्न होस्टल के बारे में किया था । मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि होस्टल में कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है ? नियम तो एक ही होना चाहिए कि उसमें अगर 22 प्रतिशत देते हैं तो होस्टल में भी इतना ही होना चाहिए । लेकिन होस्टल में यह आरक्षण 10 प्रतिशत है। यह डिसक्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए । कालेजों में जितना उनके आरक्षण का प्रतिशत है, उतना ही होस्टल के मामले में भी होना चाहिए । महोदय, हरिजन छात्रों की किस प्रकार दुर्गति होती है और उनको किस तरीके से बहाना लगा कर के टाल देते हैं। जब सरकार का नियम है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 30 के अनुसार हरिजन और शैडयूल्ड ट्राइब्ज के लोगों को यह आरक्षण प्राप्त है, यह सुविधा प्राप्त है इस तरीके से यह इसकी अवहेलना करते हैं ! कभी-कभी यह छात्रों को कह देते हैं कि नहीं आरक्षण नहीं है । कभी कह देते हैं कि तुम्हारे माता-पिता यहां पर रहते हैं , तुम्हारा घर यहां है, इसीलिए नहीं होगा ।

श्री उपसभापति : अब आप समाप्त करिये ।

श्री राम भगत पासवान : मैं अभी समाप्त कर रहा हूं । श्रीमन, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं कह रहा हूं । (व्यवधान)

श्री उपसभापति : वही बात आप कह रहे हैं, भाषण तो बहुत दे सकते हैं... (व्यवधान)

श्री राम भगत पासवान : हरिजन छात्रों को होस्टल...

श्री उपसभापति : यह तो आपने पूछ लिया है ।

श्री राम भगत पासवान : हरिजन होस्टल नहीं हैं इस कालेज में इस लिए नहीं देंगे । ऐसा कहीं प्रावधान नहीं है कि हरिजन होस्टल अलग से हों और जिस प्रकार से कहते हैं कि हरिजन होस्टल नहीं हैं तो क्यों कहते हैं । कभी कहते हैं कि तुम्हारे माता-पिता यहां रहते हैं, कभी यह कह देते हैं कि नहीं रिजर्वेशन नहीं है । तो मैं मन्त्री महोदय से कहना चाहता हूं कि एक छात्र जो जिसने चौथा स्थान प्राप्त किया है करोड़ीमल कालेज में उस छात्र को प्रवेश नहीं मिला । कभी कहते हैं होस्टल में तुम्हारे रहने से और छात्र चले जायेंगे । इस तरीके से जवाब दिया जा रहा है । यह आजादी के 36 वर्ष बाद भी दिल्ली में जाति-पांति की चर्चा हो रही है, प्रचार करते हैं, छूतछात की भावना पैदा करते हैं, हरिजन लड़कों को नहीं रहने देना चाहते हैं होस्टल में । श्रीमन् वह बहुत ही शर्म की बात है । इसलिए मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहता हूं कि जितनी कालेज में प्रवेश के लिए हरिजन छात्रों के लिए आरक्षित सीटें हैं और होस्टल में भी हैं 22 प्रतिशत सीटें उनको देने के लिए तैयार हैं या नहीं ? वह इस

सदन को यह सूचना दें कि 22 प्रतिशत आरक्षण था जो दिया गया है वह इसको देने के लिए तैयार हैं या नहीं ? एक बात और मैं कहना चाहता हूं। सरकार का निर्णय है कि हरिजन छात्रों को कोई फीस नहीं लगती है। लेकिन देखा जाए तो जितनी जनरल छात्रों को फीस लगती है उससे फीस ली जाती है वह 15 रुपये मासिक और हरिजन विद्यार्थी से एक साल में वार्षिक 350 रुपये ले लिये जाते हैं जिसके हिसाब से वह 25-30 रुपये मासिक बैठ जाती हैं। तो जहां आप जनरल छात्रों से 15 रुपये मासिक फीस लेते हैं वहां हरिजन छात्रों से 25-30 रुपये मासिक के रूप में वसूल कर लेते हैं। एनुअल चार्जेज के रूप में वे लेते हैं इसका मतलब है कि सरकार ने जो छूट दी है उसके अनुसार नहीं चलते हैं। करोड़ीमल कालेज में बहुत से लड़के मुझे मिले हैं। यदि सरकार ने फ्री एजुकेशन हरिजन छात्रों को देनी है तो यह मनमानी क्यों करते हैं? उपसभापति महोदय, हरिजन छात्रों के साथ बहुत दुर्व्यवहार हो रहा है। पेपर में लिखा हुआ है। बहुत से हरिजन छात्र जब अपने हक के लिए क्लेम करते हैं तो उनको पुलिस लगवा कर हटा दिया जाता है और उनके साथ मिसबिहेव किया जाता है, एब्यूज किया जाता है। इस प्रकार से हरिजन छात्रों पर अत्याचार हो रहा है। मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं इस पर मंत्री महोदय को मैं कहूंगा कि वे इस का स्पष्टीकरण करें कि हरिजन विद्यार्थियों को क्यों इस तरह से आरक्षण नीति की अवहेलना की जा रही है और क्यों उनको एब्यूज किया जा रहा है, जाति-पांति की चर्चा की जा रही है। बहुत से ऐसे भी प्रिंसिपल हैं जो कि 15-15, 20-20 सालों से एक ही कालेज में बैठे हुए हैं जैसे जमींदारी कायम किये हुए हों। आप यदि इन कालेजों का एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा बनाना चाहते हैं तो तीन वर्ष से ज्यादा समय तक एक कालेज में किसी प्रिंसिपल को न रहने दें। उसका एक कालेज से दूसरे कालेज में ट्रांसफर कर दिया जाए। इससे आपके प्रशासन में दक्षता आएगी। हरिजनों पर जो अत्याचार हो रहा है उसको ध्यान में रखते हुए मैं मंत्री जी से स्पष्टीकरण चाहता हूं 22 प्रतिशत सीटों का आरक्षण होस्टल में है क्या वे इसको देने के लिए राजी हैं या नहीं? मैं इन शब्दों के साथ आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (बिहार): उपसभापति महोदय, अभी माननीय सदस्य श्री राम भगत पासवान जी जिन बातों की चर्चा कर रहे थे और उनकी जो भावनाएं थीं सम्पूर्ण रूप में सही थीं और बातें भी वह पूर्ण सत्य ही कह रहे थे और वह जो कुछ भी कह रहे थे उसमें अनुभव ज्यादा था क्योंकि वे भी जिस स्थिति में रह कर पढ़े हैं शिक्षा-दीक्षा ली है और उनके साथ जो कट्टरपंथी समाज जहां हम और राम भगत जी रहे हैं, जिस जिले में हमने जन्म लिया है जो अपनी कट्टरपंथी प्रवृत्ति के कारण विश्व-विख्यात रहा है उसका अनुभव भी उनको मिला था। एक ही कालेज में हम साथ-साथ पढ़े हैं तो उस कालेज के अनुभव भी हम लोगों को साथ-साथ मिले क्या हम लोगों को भुगतना पड़ता था, उस कालेज में क्या-क्या नहीं सुनना पड़ता था। अभी जो दिल्ली विश्वविद्यालय की बात

उठाई जा रही है और सरकार की यह योजना है, सरकार सोच रही है कि सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालय में एक जैसा कार्य-क्रम बनाया जाय, सरकार उत्सुक है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए एक समान प्रक्रिया हो सभी विश्वविद्यालयों में, तो यह सही है कि वे प्रक्रिया बना देंगे । लेकिन अभी मौर्य जी ने एक सवाल उठाया था... (व्यवधान) प्रश्न यह आता है कि हरिजनों में जो छात्र योग्य हैं, स्वयं उनकी उतनी योग्यता है कि उनको कोई आपके आरक्षण की आवश्यकता नहीं है और जब हम इतने योग्य हैं, इतने अंक प्राप्त कर लिये हैं कि किसी भी सवर्ण से ज्यादा मेधावी हैं तो आप क्यों जबरदस्ती इनको आरक्षण की श्रेणी में ठेल देते हो । हमको कहते हैं तुम हरिजन में मेधावी रहोगे तब भी तुमको वहीं रखेंगे जहां तुम्हारे बाप-दादा थे । यह बुनियादी प्रश्न आज समाज के अंदर खड़ा है । हम आरक्षण की उसके लिए व्यवस्था करते हैं जो कि सामान्य लोगों के मुकाबले में नहीं हैं । उनको हम विशेष अवसर देते हैं । यह आरक्षण शब्द तो बिल्कुल बेकार चीज है । हम समाज में विशेष अवसर देते हैं उन लोगों को जो कि समाज में सामान्य लोगों की बराबरी में नहीं हैं । उनकी समता में लाने के लिए हम विशेष अवसर की प्रक्रिया देते हैं । तो विशेष अवसर किसको ? जो सबके बराबर नहीं उसके लिए और जब हम सब चीज में सबके बराबर हैं ही और स्वयं अपनी प्रतिभा के कारण हम कम्पीट कर जाते हैं, प्रतियोगिता में अच्छे अंक ले आते हैं न केवल विश्व-विद्यालय में बल्कि सरकारी नौकरियों में भी... (व्यवधान) उसमें हम चले आते हैं, पहुंच जाते हैं । तो फिर हमको आरक्षण वाला नहीं चाहिए, उनको (व्यवधान) छोड़िए । इनके अलावा जो आरक्षण के लिए शर्तें रखी हुई है कि हम पांच प्रतिशत अन्य चीजों में सुविधा देंगे तो उनमें से लोगों को चुनिए। आरक्षित छूट में से जो लोग अच्छे हों उनमें से चुनकर आरक्षण दीजिए लेकिन जो सामान्य लोगों के बराबर वाले हों उनको आरक्षण की सीमा से बाहर करें और उसी ढंग से उसी तरह से दें यह एक बात है, सरकार को आज इस पर सोचना चाहिए ।

दूसरी बात यह है कि केवल दिल्ली विश्वविद्यालय के सवाल को राम भगत पासवान जी ने उठाया है लेकिन जवाहर लाल नेहरु विश्वविद्यालय के अंदर भी उपसभापति महोदय, जो हरिजन या पिछड़े वर्ग के छात्र हैं, पिछड़ी जाति के छात्र हैं या पिछड़े इलाके के लिए जो कुछ स्थान रिजर्व हैं उन सभी बातों को तोड़-मरोड़ करके समाप्त करके अपने मन की मर्जी के अनुसार किया जा रहा है और मजबूर होकर छात्रों को आंदोलन करना पड़ता है (व्यवधान)

श्री उपसभापति : वह अलग सवाल उठता है । इसको मिक्सअप मत कीजिए । वह अलग से पूछिएगा ।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : आखिर वह भी तो दिल्ली में ही है ।

श्री उपसभापति : यह प्रश्न यहां है नहीं (व्यवधान) दिल्ली में बहुत सी चीजें हैं।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : सवाल छात्रों के दिल्ली यूनिवर्सिटी में आरक्षण का है । (व्यवधान).... सरकार ने स्वयं स्वीकार किया है, अपने स्टेटमेंट में इन्होंने बहुत कहा है कि सदन को प्रसन्नता होगी, प्रसन्नता होगी । लेकिन यह भी उन्होंने कहा कि "बहुत अच्छे अंक प्राप्त किये थे लेकिन वे विज्ञान आनर्स के पाठ्यक्रमों में स्थान उपलब्ध न होने के कारण दाखिला नहीं ले सके।" जब स्वयं यह स्वीकार करते हैं कि अच्छे अंक थे और वह आनर्स लेकर के साइंस की पढ़ाई पढ़ना चाहते थे लेकिन स्थान

[श्री हुक्मदेव नारायण यादव]

की कमी के कारण उनको दाखिला नहीं मिला तो बताइये कि वे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्र थे फिर भी उनको दाखिला क्यों नहीं मिला जब आप उनके आरक्षण की बात करते है, समाज के दबे हुए लोगों को विशेष अवसर देना चाहते हैं तो जब तक आप हुक्मदेव नारायण यादव की जगह काट करके राम भगत पासवान के लिए जगह नहीं बना देंगे तब तक आपका कहना कि अच्छे अंक रहते हुए भी वे साइंस में दाखिला नहीं ले सके बहुत दुःख की बात है, शर्म की बात है। सरकार को चाहिए कि इस पर कड़ी कार्यवाही करे। उनका फर्ज बनता है कि अन्य लोगों को रोक करके इनको स्थान देते।

श्रीमन्, जहां एडमिशन के लिए फार्म वगैरह भरा जाता है, जांच की प्रक्रिया होती है छात्रों को जहां चुना जाता है वहां उस चुनने वाली समिति में इनके कांस्टीट्यूशन में या किसी में क्या कोई हरिजन या आदिवासी टीचर, प्रोफेसर रिप्रेजेंटेटिव के रूप में रहता है या नहीं। क्यों कि आज समाज का यह मानस बना हुआ है कि जिन लोगों ने हजारों लाखों करोड़ों वर्षों से उन्हें न्याय नहीं दिया है और अगर वह न्याय देते भी हैं तब भी मेरा दिल इतना जला हुआ है कि मुझे विश्वास नहीं होता है। इसलिए मेरे विश्वास के लिए उनके प्रवेश के लिए जो कमेटी है उन कमेटियों में हमारे प्रतिनिधि रखे जाने चाहिए जिससे उनको विश्वास हो कि हमारा जो संवैधानिक हक है वह हमें मिल रहा है और यह भी उन्होंने प्रश्न उठाया कि रहने का स्थान ... (व्यवधान)

श्री उपसभापति : अब समाप्त करिए। यह छोड़िये जो पूछ लिया गया है, उसको दोहराइये नहीं।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : पूछ लिया उन्होंने, नहीं है, लेकिन जितनी बात उन्होंने पूछी है, उससे आगे भी कुछ उसमें छूटा है या केवल उतनी ही बात है। जो बात भगत राम जी ने पूछ ली, क्या उतनी ही बात है और उसके आगे और लोगों को पूछने की आवश्यकता नहीं है।

श्री उपसभापति : अब क्या छूटा है ?

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : हम लोगों को पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है और कहते है कि राम भगत जी ने पूछ लिया है, जैसे वह वेद व्यास की अंतिम वाणी है।

श्री उपसभापति : अब समाप्त करिए। ... (व्यवधान)

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : जैसे वह वेद दर्शन है और उसके आगे कोई दर्शन नहीं है।

श्री उपसभापति : आप प्रवचन नहीं दीजिए।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : प्रवचन नहीं देते है। आप तो बीच में कहते हैं कि हो गया, हो गया। लीजिए यहीं तक मेरी बात है, आप जैसे चाहें सदन चलायें।

श्री उपसभापति : ठीक है, धन्यवाद।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : आप ही इस सदन के सर्वेसर्वा हैं और क्योंकि आप ऊंची कुर्सी पर बैठ गये हैं, ऊंची कुर्सी पर बैठने वाले को अपनी बुद्धि का अहंकार होता है, छोटी कुर्सी वाले को

नहीं होता है । यही तो हरिजन के साथ अन्याय होता है । आप ऊंची कुर्सी पर बैठ गये हैं और अहंकारी बन गये ।

श्री सत्य पाल मलिक (उत्तर प्रदेश) : श्रीमन्, सब से पहले तो माननीय सदस्य ने जो बहस उठाई है, उनकी भावनाओं से खुद को जोड़ता हूं और पाता हूं कि यह बहुत गम्भीर बात है अगर विश्वविद्यालय के दाखिले में या होस्टल के दाखिले में हरिजन छात्रों के साथ अन्याय होता है । यह तो बहुत शर्म की बात है, लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि जब हम विश्वविद्यालय के बारे में बहस करें, तो एक सावधानी रखनी चाहिए । विश्वविद्यालय में सरकार या राजनीति का कितना हस्तक्षेप हो, इस पर मेरी अपनी राय है, जो मैं जाहिर करना चाहता हूं और वह यह है कि विश्व-विद्यालय में कोई अस्वस्थ हस्तक्षेप सरकार की तरफ से नहीं होना चाहिए ।

मुझको याद है कि ब्रिटेन में—मैं कहीं पढ़ रहा था—कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट में बोलते हुए इंग्लैंड की प्रधान मंत्री ने एक बार कहा कि आक्सफोर्ड विश्व-विद्यालय ने कभी हमारी बात नहीं मानी और आक्सफोर्ड की कोई बात कभी हमने नहीं टाली और यह कहते हुए ब्रिटेन का प्रधान मंत्री फक्र महसूस करता था।

हमको हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, लेकिन हस्तक्षेप गलत मामलों में होता है। वह मामला हस्तक्षेप के लायक है और इसमें हस्तक्षेप होना चाहिए, लेकिन गलत मामलों में हस्तक्षेप होता है, ऐसे मामलों में नहीं होता है । मैं यह जानता हूं कि जैसे करीब आठ या दस साल पहले की बात है, दिल्ली विश्वविद्यालय की ख्याति थी कि लाल बहादुर शास्त्री के साहिबजादे को नम्बर कम होने के कारण दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिला नहीं मिल पाया था, लेकिन आज ऐसा नहीं है ।

मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या आप दिल्ली विश्वविद्यालय के कालेजों में इस बात की जांच करायेंगे कि क्या पूरी तरह से मेरिट के आधार पर दाखिले हुए हैं ? यह जो हमारे मनहर साहब ने मामला उठाया है, इसे भी आप यू०जी०सी० के जरिए कराइये या सरकारी संस्था के जरिए कराइये, लेकिन यह जो शिकायतें हैं—शेड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्स तथा गरीब लोगों और पिछड़ी जातियों के जो लोग हैं, उनके दाखिले के संबंध में, इसकी क्या आप कोई जांच करायेंगे ?

मैं एक छोटी सी घटना आपको बताना चाहता हूं । एक प्राइवेट, सेठी का कालेज है, लड़कियों का कालेज है लेडी श्री राम कालेज मेरी जानकारी के आधार पर वहां होस्टल में दाखिले की लिस्ट लगती है एक दिन पहले, तो मेरिट के हिसाब से लगा दी जाती हैं, मेरिट के पहले नम्बर की जो चार लड़कियां थी, अगले दिन लिस्ट लगती है, तो उन चारों लड़कियों के नाम काट दिये जाते हैं । उनके अभिभावक प्रिंसिपल से मिलने की कोशिश करते हैं और वहां के जो वार्डन हैं, उनसे उनकी मुलाकात तक नहीं हो पाती । तो दिल्ली विश्वविद्यालय में किसी भी किस्म के हस्तक्षेप का विरोधी रहने के बावजूद मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि दाखिले के मामले में मेरिट कायम रहे और बाकी लोगों के लिए और जो हरिजन लोग हैं, विद्यार्थी हैं, उनके साथ किसी किस्म का भेदभाव न हो, इस सारे मामले की आप जांच कराइये ।

दूसरे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह मसला हल होने वाला नहीं है ।

[श्री सत्यपाल मलिक]

आपके अनुसार 37 हजार सीटें आपके तमाम कालेजों में अंडर ग्रेज्युएट पढ़ाई के लिए हैं। 35 हजार के करीब आप लोग मानते हैं कि काफी ऐसे लोग हैं जो अभी पास करके 40 फीसदी से ज्यादा नम्बर हासिल करके आये हैं। इसके अलावा दिल्ली के इर्द-गिर्द तीन चार सौ किलोमीटर के लोग भी अपना सौभाग्य समझते हैं—अगर उनका बच्चा दिल्ली जैसी जगह में दाखिला ले सके। उनकी आपने कोई गिनती नहीं की है।

मैं जानना चाहूंगा कि कुल टोटल एप्लीकेंट्स की तादाद कितनी है? तब आप यह कह सकते हैं कि सिटुएशन सेटिसफैक्ट्री है क्योंकि इतने टोटल एप्लीकेंट्स थे और इतनी हमारी सीट्स हैं।

मान्यवर, मैं यह भी निवेदन करूंगा कि यह मसला आप हल नहीं कर सकते हैं, जो शिक्षा की मौजूदा शक्ल है, उसको बदले बगैर, चूंकि दलैंण्ड एकदम डिग्री हासिल करना है। बड़ी भारी तादात में छात्र पढ़ते हैं और हर आदमी चाहता है कि मैं डिग्री हासिल करूं, उसका चाहे जो नतीजा निकले, चूंकि और किसी किस्म की एजूकेशन नहीं हैं जो जिंदगी के बेहतर रास्ते खोलती हो।

तो इस सारे रण को, सारी कुव्यवस्था को रोकने के लिए जरूरी है कि शिक्षा के सिलसिले में एक नये सिरे से विचार हो। यह दुर्भाग्य की बात है, श्रीमन्, कि पिछले पांच साल में सिर्फ एक बार शिक्षा के मामले में बहस हो पाई है इन दोनों सदनों में। यह भी बदकिस्मती की बात है कि शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण मामले के लिए कोई केबिनेट मिनिस्टर इस सरकार में नहीं है। यह भी दुर्भाग्य की बात है कि शिक्षा का बजट पिछले दस-बीस साल से स्टेटिक चला आता है, उस में कोई परिवर्तन नहीं होता। इस के माने हैं कि शिक्षा को सरकार तरजीह नहीं दे रही है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि मेरिट को एनफोर्स कराइये और जो पिछड़े वर्गों के लोग हैं, हरिजन विद्यार्थी हैं जिन के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था है न सिर्फ कालिजों में बल्कि होस्टलों में भी इस बात की जांच कराइये कि उन के साथ कहीं कोई ज्यादती तो नहीं हो रही। और मैं हरिजन के रिजर्वेशन की परिभाषा वही मानता हूं जो माननीय मौर्य जी ने बतायी।

SHRIMATI KANAK MUKHERJEE (West Bengal): Sir, what is revealed here, even from the statement of the Government and other discussions, is the utter bankruptcy of the administration and lack of sincerity and callousness of the Government in respect of higher education, specially of the Scheduled Castes and Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Sir, it is shocking to find the following report in the *Indian Epress* of July 28:

"Ironically Delhi University has reserved 22.5 per cent of seats in undergraduate courses for SC|ST students and not even half die percentage has applied for admission. Only 1,500 students have applied for admission to nearly 5,000 seats reserved for SCJST students."

Sir, even when this is the condition, students are not getting admission. Again ironically many of the. colleges have refused to honour the provisional admission slips issued by the University. See the irony. This also came in the *Indian Ex press* of the 5th August.

"THe University authorities reportedly told the Principals that the SC|ST quota should not be misused at any cost.'*

So, the University is not listening to the UGC and the colleges are not listening to the University. Sir, this is the position. verything is being done formally and each

one is issuing circulars to the others. This is a vicious circle. This is going oh regarding the admission of students, specially of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, so that the people cf the backward strata do not enter higher education. Is it the monopoly of the so-called aristocracy and the privileged classes? I do not say that they should not get higher education. Higher education should be available for all sections of the society, from the highest to the lowest strata of society. But the point is that these colleges want Io keep it a preserve for the privileged sections only; that is, they are following the legacy of the Britishers of keeping education confined only to the privileged sections and keeping the people ignorant to keep power in their own hands. So, what attitude does it reveal? It is an attitude in favour of the vested interests and against the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. And what is the mechanism for checking this? If the University issues instructions, if it issues slips for admission and the colleges are not obeying them, what is the mechanism to check it? I do not know. Apart from the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, the hon. Minister's statement itpelf says:

> "It is true that all students in Delhi are not able to secure admissions to colleges and courses of their choice."

It is not a question of Delhi only. All over India students are not getting admission in colleges for higher edueа'tion. Why? Because the picture all over India is like that. What is the policy of the Government of India? There is a total lack of a dynamic attitude towards education. What iR. the percentage "of growth of the student population? And what is the percentage of growth of colleges? Certainly it is much less. So, what are our Plans for? What are these *"Five* Year Plans for? Is it because the Government is afraid of educated unemployment tlfet they are curtailing higher education? What are these plans for? I do not understand. Are the plans only to enrich the monoply houses? Or, are you in a planned way creating suffering for the people? Plan of unemployment, plan of starvation, plan of deprivation of students, shortage of accommodation in schools and colleges. What are you doing for expansion of higher education for all sections of the people including the Scheduled Castes and Scheduled Tribes? Are y°u really trying to curtail higher education, keeping it limited among the vested interests, the privileged classes? Do you really mean to expand higher education among all sections of the people including the Scheduled Castes and Scheduled Tribes? What do your plans say? What do your Five Year Plans say? Please compare the growth of student population including the student population among the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, and the percentage of the increase in the number of colleges and the number of seats made available. There is hardly any relation...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, please conclude.

SHIRMATI KANAK MUKHERJEE: Will the honourable Minister reply to all these questions?

श्री जगन्नाथ राव जोशी (दिल्ली) : उपसभापति महोदय, आजकल शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश पाना बहुत ही मुश्किल और परेशानी की बात हो गयी है और दिल्ली विश्वविद्यालय उसके लिए कोई अपवाद नहीं है। कुछ दिन पहले मैंने एक व्यंग चित्र देखा था कि एक प्रिंसिपल साहब के कमरे के सामने लम्बी कतार खडी है और प्रिंसिपल साहब नहीं हैं। लोग पूछते हैं कि प्रिंसिपल साहब कहां हैं तो वहां चपरासी कहता है कि प्रिंसिपल साहब अपने बच्चे को प्राइमरी क्लास में दाखिला दिलाने के लिये अलग लाइन में खड़े हुए हैं। तो यही सारे सामान्य विद्यार्थियों की हालत है और अनुसूचित जाति और जनजाति के विद्यार्थियों की

[श्री जगन्नाथ राव जोशी]

परेशानी कितनी होगी इस की तो कोई भी कल्पना कर सकता है। इस वक्तव्य से ऐसा पता लगता है कि सरकार ने ऐसी हिदायतें दे दी हैं, गाइड लाइन्स दे दी हैं, किन्तु उन पर कितना अमल हुआ है इस को देखने का कोई तरीका नहीं है। हमारे साथियों ने जैसा कहा, हस्तक्षेप तो नहीं कर सकते लेकिन आखिर सरकार ने जो हिदायतें दी हैं उन पर अमल न हो तो उसके लिये जिम्मेदार कौन है इसको देखना पड़ेगा। मैं तो एक बात में अपने मौर्य जी से सहमत हूं और नहीं तो मिनिस्टर साहब जवाब दें कि जो मेधावी छात्र हैं उनको सर्वसामान्य विद्यार्थियों में ही गिना जाना चाहिए। जैसे आज भी वह जनरल सीट के लिये कोई भी खड़ा रह सकता है, उसमें चुन कर आ सकता है ऐसे ही जो मेधावी है उन को सर्वसामान्य विद्यार्थियों के साथ आगे आने के लिये पूरी इजाजत होनी चाहिए।

दूसरे जहां तक मेरी जानकारी है मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जब यह कहा गया गृह मन्त्रालय की तरफ से कि जैसे और जगह आरक्षण है वैसे ही यहां शिक्षा के क्षेत्र में भी हो। 15 और साढ़े सात प्रतिशत तो वहां के एक अधिकारी ने कहा कि दिल्ली में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिये जगह रखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि दिल्ली शहर होने की वजह से यहां कोई ट्राइब है ही नहीं और वैसा ही नोट उन्होंने लिख दिया। और जब उसका प्रतिवाद किया गया तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने जानबूझ कर ऐसा किया और उन के हितों को ध्यान में नहीं रखा गया। दिल्ली केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों का एक बड़ा स्थान होने की वजह से जैसे हमारे अन्य मित्र है उनके लड़के बच्चे भी होंगे, उनके दाखिला कराने का बाद में सवाल आयेगा (व्यवधान) तो वे यह नहीं कह सकते कि दिल्ली में कोई ट्राइबल पैदा नहीं होगा या कोई हमारे मित्र या केन्द्रीय कर्मचारी अनुसूचित जाति के हों तो उनके लड़के बच्चों को प्रवेश पाने के लिये बड़ी कठिनाई होगी। जो जिन्होंने ऐसा नोट लिखा होगा उनकी विचार-धारा देखकर तो आश्चर्य होता है। जहां आवश्यकता हो वहां उनका तबादला किया जाना चाहिए। लेकिन यदि यही धारणा और प्रवृत्ति शिक्षा के क्षेत्र में रही तो मुझे नहीं लगता कि अनुसूचित जाति या जनजाति को कोई न्याय मिल सकेगा। पहले ही वातावरण काफी दूषित है। पहले से जैसा सम्मानपूर्ण वातावरण उनके लिये होना चाहिए वह है नहीं और जो उच्च स्थान पर बैठे हुए अधिकारी हैं वे ऐसी धारणा लेकर चलेंगे तो मुझे लगता है कि आगे चलना हमारे लिए कठिन होगा।

दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि दिल्ली विश्वविद्यालय के कई विद्यार्थी अलग-अलग कालेजेज में तकनीकी शिक्षा पाने के लिये रुड़की या श्रीनगर आदि भेजे जाते हैं। पिछले पांच साल में मेरी जानकारी है कि एक भी अनुसूचित जाति या जनजाति का विद्यार्थी बाहर नहीं भेजा गया। इस की तहकीकात हो कि ऐसा क्यों नहीं हुआ और क्या ऐसा कोई विद्यार्थी था नहीं और था तो उसको क्या प्रवेश नहीं मिला?

तीसरी बात मुझे यह सुनकर आश्चर्य हुआ कि पूरे भारत में रहने के लिये स्कालरशिप की और इजाफे की व्यवस्था है किन्तु दिल्ली में पी० एच० डी० के लिये तो स्कालरशिप मिलेगी लेकिन एम ए० के लिये नहीं मिलेगी और जब तक कोई एम० ए० पास नहीं करेगा तो पी० एच० डी० ज्वाइन नहीं कर पायेगा। यदि यह हालत है तो इसकी भी जानकारी मन्त्री महोदय करायें। आज की जो

अनिश्चितता की स्थिति है वह 16 अगस्त के बाद ही दूर होगा जैसा कि स्टेटमेंट से लगता है। मुझे लगता है कि 16 अगस्त के बाद ही हम बहस करते तो अच्छा होता क्योंकि 16 अगस्त की आड़ में कहा गया है कि हम नम्बर बढ़ाने वाले हैं, हर एक को मिलेगा और [illegible] कक्षा के लिये जाने वालों की कठिनाई है। जो कुछ माइनारिटी के इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें जो भी हिदायतें विश्वविद्यालयों की तरफ से हैं उनके ओर ध्यान नहीं दिया जाता उन पर अमल नहीं किया जाता इसको भी देखना चाहिए। इसके साथ ही सब-सामान्य में छात्रों को और विशेषकर हरिजन और जनजाति के लोग जो दाखिले के लिये कठिनाइयां अनुभव कर रहे हैं, उनको दूर करना चाहिये। यही मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं।

1 P.M.

श्री सूरज प्रसाद (बिहार) : श्रीमन्, यह सही है कि सरकार ने दिल्ली युनिवर्सिटी में शेड्यूल्ड कास्ट और शड्यूल्ड ट्राइब्ज के विद्यार्थियों के नामांकन के लिये रिजर्वेशन की व्यवस्था की है और उसमें भी उसने कहा है कि कितने परसेंट मार्क्स आने के बाद एडमिशन होगा। शायद इसमें 33 परसेंट की बात कही गयी है, लेकिन मेरी जानकारी यह है कि सरकार का आदेश कुछ है और दिल्ली युनिवर्सिटी में नामांकन के लिये युनिवर्सिटी का नियम कुछ दूसरा है। मैं इस सम्बन्ध में सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सही है कि दिल्ली युनिवर्सिटी के हरिजन और आदिवासियों के नामांकन के लिये 50 परसेंट मार्क्स का निर्धारण किया है, 33 परसेंट नहीं ?

दूसरी बात यह है कि सरकार कहती है कि कोई भेदभाव युनिवर्सिटी में नहीं होता। तो मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि गत तीन सालों के अन्दर कितने शेड्यूल्ड कास्ट और शड्यूल्ड ट्राइब्ज विद्यार्थियों ने आवेदन पत्र दिए, और कितनों का नामांकन युनिवर्सिटी ने किया ?

तीसरी बात, जो अखबारों में भी आया है और जैसा कि बयान में भी है, कि सीट बढ़ाने के बारे में सरकार के पास युनिवर्सिटी से आवेदन आया था, शायद 240 या 270 सीटें बढ़ाई गई हैं, तो तीन वर्षों में यह बात लंबित थी। तो मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि जब आपने स्वीकार किया है कि एडमिशन के बारे में काफी दिक्कत है तो जो अनुभव था उसके आधार पर तीन वर्षों बाद ही सीटें बढ़ाने की अनुमति क्यों दी गयी ?

चौथी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि सीटें कम हैं। इसकी वजह से नामांकन नहीं हो पाता। तो क्या सरकार के पास कोई ऐसी योजना है, जिसका अभी बहुत से माननीय सदस्यों ने भी जिक्र किया है कि आस-पास के विद्यार्थी भी यहां नामांकन के लिए आते हैं, कि सीटें काफी बढ़ाई जायें ताकि जो भी विद्यार्थी नामांकन कराना चाहें और उसके लिये ऐलिजिबल हों, उनका नामांकन हो।

एक सवाल और जो आपने मना कर दिया वह मैं कहना चाहता हूं। वह है जवाहरलाल नेहरू युनिवर्सिटी के बारे में। उसमें भी नामांकन इस साल बन्द कर दिया गया है। उसमें भी शेड्यूल्ड कास्ट और शड्यूल्ड ट्राइब्ज के विद्यार्थियों का नामांकन किया जाता था, खासकर पिछड़े हुए राज्यों के लिये विशेष सुविधा दी जाती थी, लेकिन इस साल बन्द कर दिया है।

श्री उपसभापति : यह अलग सवाल है, उसको छोड़िये।

श्री सूरज प्रसाद : इसलिये मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि इस साल उस युनिवर्सिटी में भी नामांकन करायेगी ताकि उनका ऐडमिशन हो जाए। युनिवर्सिटी में लोग कहते हैं कि लेट किया गया है, उसके बाद भी एडमिशन होता रहा है, इस सम्बन्ध में बतायें।

SHRI B. D. KHOBRAGADE (Maharashtra): Sir, it is the experience that there is a great difficulty in getting admissions to the various colleges in Delhi, and particularly difficulties have been experienced by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes students. I would like to ask the hon. Minister what steps he is going to take to remove these difficulties. Personally, I feel that they should provide more colleges in Delhi, so that a large number of students can get admissions here. I would like to support the view of Mr. Maurya that those who are in merit should be given admission on merit basis and the quota for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes students should be separate. Is the Government going to adopt that policy or not? Thirdly, Sir, difficulties are being experienced in getting caste certificates in Delhi as well as out of Delhi also. The students or their guardians have to go to the court, file affidavits and then only they can get the certificates. If they cannot get the caste certificates, they cannot get the facilities. I would like to know from the hon. Minister what steps he is going to take to stop harassment of the students and also see that caste certificates are given to the students and they get the facilities which are being accorded by the Government. *(Time bell -rings.)* Sir, am I allowed to speak for only one minute?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Put your question, please.

SHRI B. D. KHOBRAGADE: I won't take more time. One minute only. So these are the points that should be considered.

श्री राम भगत पासवान : उपसभापति जी, मेरा प्वाइंट ऑफ आर्डर है। शैडयूल्ड कास्ट्स और शैडयूल्ड ट्राइब्स के बारे में यह विषय है इसलिये मैं आप से आग्रह करूंगा कि इसमें और टाइम दे दिया जाए।

श्री उपसभापति : पहले ही टाइम इतना लग गया। आप क्या समझते हैं कि जो सवाल पूछ लिये गये उससे बाहर भी सवाल पूछे जा सकते हैं।

SHRI B. D. KHOBRAGADE: Would it be possible for the Government or the hon. Minister to increase the number of colleges in Delhi. I would like to ask another question. As the Scheduled Castes and Scheduled Tribes students are facing great difficulties, would it be possible for the Government to give permission to the institutions run by the Scheduled Castes to open colleges so that they can provide facilities to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes students? I don't think in Delhi a single college is being managed by any Scheduled Castes and Scheduled Tribes society. Why? Why should that be the position? The Government should take steps to see that colleges are run by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes societies and special facilities are given to them. My last point. As the private colleges are not giving any facility to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes people or the students, the Government should start colleges, and not give permission to private institutions to run" the colleges, so that if colleges are run by the Government then the Scheduled Castes and Scheduled Tribes students can get better facilities admissions and everything. Therefore, I would like to urge that Government should start colleges in Delhi and that policy should be followed throughout the country.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The Minister, please. (Interruptions).

SHRI B. SATYANARAYAN REDDY (Andhra Pradesh): What about me? My name is there.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Your nam© is not there (Interruptions)

SHRI B. SATYANARAYAN REDDY: Many complaints have reached me. There are a number of problems of students. They are not getting admissions in the Universities. *(Intsrruptions)* Government must provide adequate facilities to see that all those who want to have higher education get admissions. They should either increase the number of seats in colleges, open new colleges or make arrangements with colleges outside Delhi Ior this purpose. (In.terraption.sJJ

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please take your seat.

SHRI B. SATYANARAYAN REDDY: Government must make other arrangements to provide seats for them in the rest of the country. He has not made any alternative arrangements for providing the seats to the students. And you are now allowing me.

SHRI P. K. THUNGON: Sir, in the Statement I have stated the various steps that we have taken to remove the difficulties of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes students in taking admission in the Delhi University. I would only like to reiterate that we have been quite aware of these problems and we are taking neeessary steps.

SHRI B. D. KHOBRAGADE: What steps?

SHRI P. K. THUNGON: I have explained already and I am going to explain.

MR DEPUTY CHAIRMAN: Please address the Chair.

SHRI P. K. THUNGON': Sir, to maintain the brevity, instead of replying to each Member's question, I would like to touch the main points.

Sir, one of the main points which the hon. Members touched was whether those students belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes who are taken On merit, are also counted out of the reserved quota. The reply is that those who are taken on merit are not counted in the reserved quota.

SHRI B. D. KHOBRAGADE: Is this policy being followed in all the States?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Have the patience to hear.

SHRI P. K. THUNGON: I have already explained the position. Sir, the other point which the hon. Members raised was that in some colleges fees are being charged from the Scheduled Castes and Scheduled Tribes students. Now, Sir, there are certain fees which are charged by the respective colleges. And I would like to mention the amounts here against what subjects they charged those fees; so far as Kirorimal College is concerned Rs. 5—admission fee; Rs. 5—enrolment fee; Rs. IOO—security; Rs. 25—security for science; Rs. 60—library fee; Rs. 10—reading room fee; Rs. 60—development fee; Rs. 10—college magazine fee; Rs. 35—sports fee; Rs. 25—students' union fee; Rs. 30—garden, identity card, etc.

AN HON. MEMBER: What is the total?

SHRI P. K. THUNGON: The total fee charged is Rs. 365J-. Out of that, Rs. 185 is refundable.

SHRI B. D. KHOBRAGADE: Is it reimbursed by the Government in the case of Scheduled Castes and Scheduled Tribes students?

SHRI P. K. THUNGON; For instance, tuition fee, etc. are reimbursable.

Then, Sir, a point has been raised by one hon. Member that some of the minority institutions are not adhering to the guidelines of the University. To this, I would like to mention here and inform the hon. Members that the minority institutions' colleges have been adhering to the percentage which is prescribed by the University. And, one of the hon. Mem-

[Shri P. K. Thungon]

bers, he was Mr. Khobragade perhaps, again asked what were the steps that the Government was taking to remove the difficulties of the students to take admissions. I have already mentioned...

SHRI B. D. KHOBRAGADE: I have made the point that the Government should open Government colleges instead of giving permission to private colleges. That is the point that I have made.

SHRI P. K. THUNGON: As I said, we have taken certain steps to mitigate the problems of the students in taking admission. Not only Khobragade Sahib but some other hon. Members also mentioned about the increase in the number of colleges. In this regard, I would like simply to state, Sir, that if concrete proposals in this connection are received we will certainly consider[1] increasing the number of colleges.

SHRI B. D. KHOBRAGADE: Government colleges.

SHRI B. SATYANARAYAN REDDY: For those students who have not got admission in the Delhi University are any alternate arrangements for their admission being made?

SHRI P. K. THUNGON: Sir, there is another question which was raised by an hon. Member and that is in regard to the reduction in the in-take capacity this year. In this regard I would like to mention, Sir, that a little above 2000 seats were reduced tbis year because of the fact that colleges under the University of Delhi had reached the optimum limit of in-take position. And that is why two of the hon. Members mentioned that Colleges are not listening to the university.. In that context I would like to mention that to increase the number of reduced seats in respective coleges a meeting was called by the Vice-Chancellor of the Delhi University on 21st June, 1983, and after the meeting was held another additional 750 seats were added to various colleges. It is not a fact that the University is not listening to the UGC. A point was also made in regard to the reservation in hostel seats by some hon. Members. I would like to State that UGC has given a guideline to the university authorities and said that about 20 per cent of the seats in the hostels should also be reserved for Scheduled Tribe and Scheduled Caste students. *(Interruptions)* So far the reserved seats available to Scheduled Caste and Scheduled Tribe students are about 10 per cent. However, the University of Delhi is being pursued to adhere to the suggestion made by the UGC.

These are the main points which the hon. Members have raised. In conclusion, I would like to reiterate that unless and until we progress not only in the educational sector but in other sectors also, we won't be able to solve this problem by way of educational efforts only.

श्री चांद राम (हरियाणा) : अगर शैड्यूल कास्ट की सोसाइटी कोई कालेज खोलना चाहे तो सरकार उनको जमीन तथा आर्थिक सहायता आदि की सहूलियत देगी या नहीं देगी ?

श्री उपसभापति : जब प्रस्ताव आयेगा, विचार करेंगे ।

सदन की कार्यवाही 2.15 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है ।

The House then adjourned for lunch at twenty minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at eighteen minutes past two of the clock,

The Vice-Chairman [Dr. (Shrimati) Najma Heptulla]s in the Chair.

REFERENCE TO THE REPORTED CRISES IN THE SMALL-SCALE INDUSTRIAL UN/TS LICENSED TO MANUFACTURE NUT AN WICK STOVES

THE VICE-CHAIRMAN [DR. (SHRIMATI) NAJMA HEPTULLA]: We start with special mentions. Shri Syed Shahabuddin. Not here. Dr. Mahavir.

DR. BHAI MAHAVIR (Madhya Pradesh) : Madam Vice-Chairman, the subject which I have been kindly permitted to make a special mention of, relates to fuel economy as well as our policy in respect of small-scale industries. Madam, in March, 1975, at the time in oil prices and realisation about fuel shortage,